रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एम० एम०/13-14/94.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 16 मई, 1994/26 वैशाख, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 14 मई, 1994

क्रमांक एल० एल० आर० डी० (6) 3/94-लेजिसलेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत क संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 12 मई, 1994 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश

1337-राजपत्र/94-16-5-94—1,265.

मूल्य : 1 रुपया ।

लोक आयुक्त (पांचवां संशोधन) विधेयक, 1994 (1994 का 5) को 1994 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान क अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसक प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश, राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

1994 का अधिनियम संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1994

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 12 मई, 1994 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1994 है।

धारा 15-क का संशोधन।

1983 का 17

2. हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 की धारा 15-क की उपधारा (4) में, मद (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात् :—

1952 का 60

"(i) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन लोक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच; या

(ii) कानूनी पद के कृत्य और कर्तव्य; या

(iii) राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के कृत्य और कर्तव्य।"

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 7 of 1994.

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (FIFTH AMENDMENT) ACT, 1994

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON THE 12TH MAY, 1994)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (*Act No.* 17 *of* 1983).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Fifth Amendment) Act, 1994.

Amendment of section 15-A.

2. In section 15-A, in sub-section (4) of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983, for items (*i*) and (*ii*) , the following items shall be substituted, namely:— 17 of 1983

"(*i*) an inquiry into any definite matter of public importance, under the Commissions of Inquiry Act, 1952 ; or 60 of 1952.

(*ii*) the functions and duties of a statutory office ; or

(*iii*) the functions and duties of the Chairman of the State Law Commission."

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।